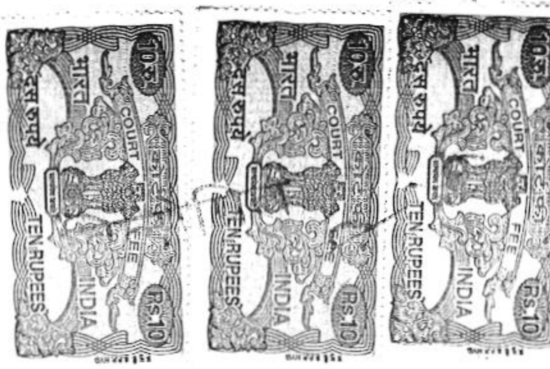

(77)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल सदस्य महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0। R 918 -II- 17

प्र. क्रं. /निगरानी 2017

(1) गंभीर सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, आयु 59 वर्ष,
(2) रमेश सिंह पुत्र कल्याण सिंह, आयु 45 वर्ष,
दोनो जाति सांसी दोनो का व्यवसाय कृषि,
निवासीगण ग्राम महुआखाडी /मीरकाबाद परगना
मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।

.... पुनरीक्षणकर्ता आवेदकगण

प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि. 20-3-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

(1) श्रीमति आशारानी पत्नि मेहरबान सिंह, जाति सांसी, आयु 59 वर्ष,
(2) मेहरबान सिंह पुत्र रामचंद, जाति सांसी, आयु 64 वर्ष, व्यवसाय कृषि,
(3) मेहरबान सिंह पुत्र नाथूराम, जाति मोंगिया, आयु 49 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासीगण ग्राम महुआखाडी परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0।
(4) म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0।

.... प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

Shrivastava
प्रदीप श्रीवास्तव
20-3-17

//पुनरीक्षण/निगरानीपत्र धारा 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 के अन्तर्गत//

//न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय (श्री वर्मा जी) मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रं. 4अ5/14-15 में दिनांक 22.02.2017 के प्रतिवेदन/आदेश के विरूद्ध//

माननीय महोदय,

सेवा मे पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से सादर पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि –

संक्षिप्त विवरण :–

यह कि ग्राम महुआखाडी तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0 स्थित भूमि सर्वे क्रं. 2 रकवा 1.714 हे. तथा सर्वे क्रं. 3 की सीमायें नक्शा में मौके के कब्जे अनुसार दुरूस्त कराने हेतु आवेदकगण की ओर से अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 107 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 के अन्तर्गत माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन पत्र

.......2 ....

(2) रमेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./918/दो/2017 जिला अशोकनगर

गंभीर सिंह आदि विरूद्ध श्रीमती आशारानी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक- 4-अ-5/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22/2/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 8/08/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	